परियोजना का नाम: – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 केंग्वीं। डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजपफरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

(तन अधिकार अधिनियमं, 2006 के अन्तर्गत समस्त तन भृति हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत रारकार द्वारा निर्धारित प्रपन्नो पर सूचना /अभिलेख सलग्न किये जाने हैं।)

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the No---

District Collector-Paun Garhuel Dated - 67 [01119

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.893 hectares of forest land proposed to

UPPLL myzaffanagar.

Deplacement of dumofe Towerds. 266 of

be diverted in favour of (name of user agency) for (purpose for diversion metals.) Sriket Generali of forest land) in district falls within jurisdiction of village (s) in tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised eight Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above. Signature (Full name and official real of the Therries Palls

PORM:II (for projects other than linear projects) Government of Unarakhand Office of the District Collector - Paul bornes NOSES

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is (name of user agency) for solver the former former

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.



Signature

परियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग—मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT --- Pauri-- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Paur Dated: 07/01/2019

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committe

ित्तारियकारी महत्त्वल It is further certified that – Minutes of meeting of Construction of two tower instead of damaged tower no 266 of 400 kv Double circuit Vishnuprayag to Muzzaffernagar high tension electricity transportation line in district Pauri Garhwal.

S.No.		Remark
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 3.893 hectare (Civil and Soyam land) proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest right communities, Sub division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned villagers regarding construction of said tower is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive tribes groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

Executive Engineer
Electy, 4 -- A. 1/. S/S Division
U.P.F.C. L. Johly Road
Muzatfaniagar

Action of the second

उप वन संरचक गढ़वाल वन प्रभाम, पौड़ी परियोजना का नामः — जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग—मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

> कार्यालय उप जिलाधिकारी, –पौडी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

ST.	जम्बण्ड उप वन प्रभाग पौडी
1	निर्मातिक विभागीतिक के देश त्यापित के अन्तर्गत पारवात्र के अन्तर्गत पारवात्र के अन्तर्गत
JI 2	उपखण्ड उप वन प्रभाग पौडी — परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपट होटी के जानित कर के जो उत्तर हैं। के जानित कर के जानित के पक्ष में अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील के के सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—
	गून, जनार पुरा उन्ध्राह हैं। वन भूमि) का उन्भी ति । साम पन भूम हैं। वन पंचायत
	हस्तान्तारत किये जाने हेत् अनुसचित जनजाति और अनु प्राची स्वान्य प्राचित प्राची के पक्ष में
	अधिनियम, 2006 के अन्तर्यन न्याना निर्मात वनवासी (वन अधिकारों की मानाना)
	<u>१३ । । १८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:</u> अनुस्रित जन्मानि और अनुस्रित का विवरण:
	का सम्पन्न बंठक की कार्यवाही का विवरण:-
	अनुस्थित जनजाति और अन्य परमारागत तन किन्ति 👉 👈 🕦
	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष में अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष में
	एवं अध्यक्ष जपरवण्ड स्वरीम सन अधिकार कि वेटक श्री —————, उप जिलाधिकारी
	१- श्री मापा दत्त जीशी उपजिलाधिकारी — श्रीनगर अध्यक्ष
	2- श्री रुम् के वहुरक्विषप प्रभागीय वनाधिकारी चीक् सदस्य भागा विकार
	2- श्री रुम् के वहरवर्षे उप प्रभागीय वनाधिकारी से सदस्य भागा विकार
	अ दाना दिन मित्र मिहायक समाज कल्याण अधिकारी कि सदस्य / सचिव। की उप वर्ग प्रधान
	3- श्री विनादित समाज कल्याण अधिकारी स्त्रिक्स सदस्य / सचिव कि विव विन विश्व विष्य विश्व व
	उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैटक में जगान करने का कि
	उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सरक्यों
	की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
5	पद पोड़ी ने अन्तर्गत पर के उनल सीर्वेट विष्णु प्रमाण मुक्सिकट्मण परिवगलायन मानियान याव (तब्बा 266) विष्णु प्रमाण मुक्सिकट्मण परिवाला हेतु 3.843.हे0 वन भूमि
	ने नियान पर दो देशको है। जिस्सीयाना हेत् १, १९०१ है।
	निर्मा देव देव विकास कार्या विकास मान
	- प्राप्तन पानियों के प्राप्त में
	ज्ञार प्रदेश प्रावट द्वांसिनियान बाट्यारश्च किमी हेड — प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम
	राना के जराना विनायकार का कोई मामली लिम्बत नहीं है। उस्त भामे का संबंधित गाम क्या हान
	सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
	संबंधित सम्मानीय तनाधिकारी । । जन्म अनुसार की पहिला
	संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, — क्षेत्र चारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी
	(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए
	जीनकारों से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी टावेटार का
	दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा
	चली है। अनः मतन्त्रणा में न्यान्त्यान बन्धीय तन अधिकार समिति क्या अस्तरिक निर्मा असीपाल जीश की जी
	चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
	बैटक में सर्वसम्मति से उपखण्ड — परिक्षेत्र के अन्तर्गत
	- विद्यु प्रमार्ग - मुख्यम्म नगर् विद्युत प्राप्तम् नगर्व राम्पे परियोजना के निर्माण हेतु 3:893 है। वन भूमि
	प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित
	व्यक्त की गयी।
	उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
	उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
	तहसील
	जनपद
	प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
	माज देवी
	· 海南 李称 、
	जिल्हा के विकास के विकास के किए
	जनमामामामामामामा
	श्रीकोट गंगानाली, विक का किये
	तहसील-23/16/118

परियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पूत्र

याम पंचायत का नान श्रीकोत गंगनाली वहलान्त्रीगार विक पीदी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपट —पौड़ी——के अन्तर्गत 400 के0 दी0 बिष्णुप्रयाग—मुजपफरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो नये टावरों का निर्माण कार्य-परियोजना के निर्माण हेतु (-0.00--- हे0 आरक्षित वन भूमि, -3.893--- हे0 सिविल सीयम भूमि......0•00 हे0, वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 3•893.......हे0 वन गूमि का ——विमाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मित्री राजाता द्वी द्वारा दिनांक की सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंबायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पन्न निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूगि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित समी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गेर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण इंतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताय पारित किया गया कि ग्राम अभिष्ट अंअन्यात्मी कं ग्रामवासियों को उक्त वन भूनि - UPFCE -- प्रयोक्ता एजेर्न्सा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

गाम पँचायत विकास अधिकारी पाड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड

प्रारुप-30.4

परियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के०वी० डबल सर्किट विष्णु प्रयाग—मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

> विनांक 26/14/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत अकोट अंगिना

		and the second s
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	ाजे-द्र बिर	जीजेन्द्र
U		09
(A)	विनो६ लाल	विनाद
(3)	C	ط-ر عردار
(3)	वानवादी त्याल	
(4)	रमेश प्रताद	2 hat.
		विश्वास की स
		1 CIN B196
		(E (Fig. 1)2)
		ग्री प्रधान
		शिक्षी गर्व